कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव (छत्तीसगढ)

:– विविध आदेश :–

क्रमांक–37 /एक–22–1/2000 राजनांदगांव,दिनांक 19.04.2021

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट राजनांदगांव के आदेश क्रमांक 1769/ अ जि द/सां लि/2021 दिनांक 17.04.2021 के अनुसार सम्पूर्ण राजनांदगांव जिले अंतर्गत क्षेत्र को पूर्ववती आदेश के अनुक्रम में दिनांक 26.04.2021 को प्रातः 06.00 बजे तक तक कन्टनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिला मुख्यालय राजनांदगांव में पदस्थ विशेष न्यायाधीश/समस्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशगण कोरोना पॉजीटिव होने से होम क्वारांटाईन है ।

अतः जिला मुख्यालय राजनांदगांव में पदस्थ उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी तथा निम्न न्यायिक सेवा के अधिकारी अपने न्यायालयीन स्टाफ के साथ आवश्यक कार्य सम्पादित करेंगे जिसका विवरण निम्नानुसार है –

उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी		
न्यायिक अधिकारी का नाम	तिथि	रिमार्क
श्री विनय कुमार कश्यप सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव	दिनांक 20, 22, 23 एवं 24.04.2021	

निम्न न्यायिक सेवा के अधिकारी			
क्र	न्यायिक अधिकारी का नाम	तिथि	रिमार्क
1	श्री विवेक गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजनांदगांव	दिनांक 20.04.2021	
2	श्री रमेश चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजनांदगांव	दिनांक 22.04.2021	
3	प्रिया रजक, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजनांदगांव	दिनांक 23.04.2021	
4	श्री आलोक अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजनांदगांव	दिनांक 24.04.2021	

बाह्य स्थित न्यायालय में पदस्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट उक्त आदेशानुसार अपने मुख्यालय में उपस्थित रहकर आवश्यक कार्य, स्टाफ के माध्यम से कोविड–19 कोरोना वायरस से बचाव एवं एहतियात के संबंध में दिये गये निर्देशों के अधीन संपादित करेंगे ।

इस अवधि में न्यायालयीन सामान्य कार्य स्थगित रहेगा और अत्यन्त आवश्यक कार्य ही न्यूनतम अधिकारियों/कर्मचारियों के सहयोग से संपादित किये जायेंगे ।

इस अवधि में रिमांड, जमानत, सुपुर्दगीनामा, दण्ड के स्थगन संबंधी प्रकरण अंतर्गत धारा 389(1) दण्ड प्रकिया संहिता एवं सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1, 2 से संबंधित मामलों की सुनवाई की जायेगी ।

इस अवधि में शेष न्यायिक अधिकारी एवं स्टाफ अपने घर से कार्य संपादित करेंगे । इस अवधि में न्यायिक अधिकारी एवं स्टाफ मुख्यालय से बाहर नहीं जायेंगे और वह कार्यालय प्रमुख/पीठासीन अधिकारी द्वारा आकस्मिक रूप से किसी भी समय आहूत किये जाने पर तत्काल अपने कर्तव्य स्थल पर उपस्थित रहेंगे ।

आवश्यक कार्य संपादन हेतु जिन निम्न न्यायिक सेवा के अधिकारी की उनके नाम के समक्ष दर्शित तिथियों पर ड्यूटी लगायी गयी है, उनमें से कोई न्यायिक अधिकारी यदि किसी कारणवश अवकाश पर रहता है तो उक्त तिथि पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजनांदगांव द्वारा जिस न्यायिक अधिकारी को आवश्यक कार्य संपादन करने हेतु आदेशित किया जायेगा, उनके द्वारा कार्य संपादित किया जायेगा ।

टीप – इस आदेश के जारी होने के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय से किसी प्रकार के आदेश/निर्देश प्राप्त होने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त हो जायेगा तथा आदेश/निर्देश के अनुसार पृथक से निर्देश जारी किये जायेंगे।

सही/-
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
राजनांदगांव

पृष्ठांकन कमांक–क/एक–22–1/2000 राजनांदगांव,दिनांक 19.04.2021

प्रतिलिपि–

1– प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 राजनांदगांव ।
2– व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 खैरागढ/डोंगरगढ/अम्बागढ चौकी
3– व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 छुईखदान/डोंगरगढ
4– प्रथम/द्वितीय/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 राजनांदगांव
5– प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 राजनांदगांव के न्यायालय के द्वितीय/चतुर्थ अति न्यायाधीश,

–3–

6– प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग राजनांदगांव/खैरागढ/छुईखदान/डोंगरगढ एवं अम्बागढ चौकी की ओर कोविड–19 कोरोना वायरस संकमण से बचाव एवं एहतियात के संबंध में दिये गये निर्देशों के पालनार्थ अग्रेषित
7– प्रस्तुतकार, न्यायालय जिला न्यायाधीश, राजनांदगांव
8– अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ राजनांदगांव,/खैरागढ/छुईखदान/डोंगरगढ/अम्बागढ चौकी
9– समस्त थाना प्रभारी जिला राजनांदगांव

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
राजनांदगांव